पूरी बेंच

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह और माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.सी. मितल, के सामने।

संत राम नेहरा,-याचिकाकर्ता, बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।

1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 603।

18 मार्च 1980.

पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम 1965 (पंजाब सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) हरियाणा तीसरा संशोधन नियम, 1976) - नियम 4 परंतुक - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14 और 16 - सैन्य सेवा के लाभ पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए - अनुकंपा के आधार पर रिहा किए गए लोगों के मामले में ऐसे लाभ वापस ले लिए गए - नियम 4 का प्रावधान ताकि लाभ वापस लिया जा सके - क्या यह भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है - प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है - पूर्वव्यापी प्रभाव - क्या प्रावधान बनाता है क़ानून में ख़राब।

अभिनिर्धारित किया गया कि अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त किए गए व्यक्ति उन लोगों की तुलना में एक अलग वर्ग होंगे, जिन्हें सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण या किसी अधिकारी या कर्मी के विकलांग हो जाने के कारण सैन्य सेवा से मुक्त किया गया है। केवल उन व्यक्तियों को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिए लाभ देने के सरकार के निर्णय में एक उचित सांठगांठ है, जिन्हें सैन्य सेवा से कमोवेश आधार के अलावा अन्य आधार पर मुक्त किया गया था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के कारण पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965 के नियम 4 में जोड़े गए प्रावधान में कोई कमजोरी नहीं है। (पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति है और वह नियमों के नियम 4 का लाभ अपनी चुनी हुई किसी विशेष तारीख से देने के लिए भी स्वतंत्र है और इसी तरह वह नियमों के संचालन को छीन भी सकती है। किसी विशेष तिथि से परंतुक जोड़ना। इससे यह नहीं पता चलेगा कि संशोधन पूर्वप्रभावीता के कारण ख़राब है। एक बार जब राज्य सरकार को संभावित या पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है, तो पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया संशोधन कानून की नजर में बुरा नहीं होगा। (पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत संशोधित याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड मांगे जाएं और उनका अवलोकन किया जाए: -

(i) उत्तरदाताओं को सर्टिओरी, मैन्डैमस, प्रोअबिशन या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाएगी जिसमें विवादित आदेश (अनुलग्नक पी/2) और विवादित संशोधन (अनुलग्नक पी/3) को रद्द किया जाएगा।

(ii) उन्होंने उत्तरदाताओं को 1965 के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और सैन्य सेवा के परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया;

(iii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाएगी;

(iv) कोई अन्य उचित राहत जो माननीय उच्च न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, याचिकाकर्ता को भी दी जाए; और

(v) याचिकाकर्ता को लागत की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील प्रेम सिंह।

प्रतिवादी की ओर से यू.डी. गौड़, ए.जी. हरियाणा।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री गोकल चंद मितल,

(1)10 रिट याचिकाओं के इस सेट में शामिल मुद्दा यह है कि क्या पंजाब सरकार द्वारा जोड़े गए नियम 4 का प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकालीन (रियायत) हरियाणा तीसरा संशोधन नियम, 1976, (जिसे इसके बाद तीसरा संशोधन नियम कहा जाएगा), पंजाब में सरकारी राष्ट्रीय आपातकाल (रियायत) नियम, 1965, (जिसे इसके बाद पंजाब नियम कहा जाएगा), संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर है। परंतुक के अनुसार, वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन आदि के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा का लाभ, जैसा कि नियम 4 में निहित है, उन पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर रिहा किया गया था।

(2) बात की सराहना के लिए 1979 के सी.डब्लू. क्रमांक 603 के तथ्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 3 अगस्त, 1963 को भारतीय सेना में शामिल हुआ था और 6 जून, 1970 तक वहां सेवा की, जब उसे अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया गया। सैन्य सेवा से मुक्ति के बाद, उन्हें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित एक स्थायी पद पर कराधान निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 11 दिसंबर, 1974 को कराधान निरीक्षक के

रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कराधान विभाग में शामिल होने के बाद, उन्होंने अनुदान के लिए एक अभ्यावेदन दिया। पंजाब नियमों के नियम 4 के अनुसरण में वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन आदि के लाभों की, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न की गई है। जब प्रतिनिधित्व लंबित था, हरियाणा सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नियमों में संशोधन किया और 9 नवंबर, 1976 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5 नवंबर, 1976 द्वारा तीसरा संशोधन नियम लागू हुआ। 1 नवंबर, 1966 से प्रभावी, जिसके तहत पंजाब नियमों के नियम 4 में प्रावधान जोड़ा गया, जो इस प्रकार है: -

> "बशर्ते कि अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त किया गया व्यक्ति इस नियम के तहत किसी भी रियायत का हकदार नहीं होगा।"

अधिसूचना की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न की गई है।

(3) हरियाणा तृतीय संशोधन नियमों के अनुसरण में, जिला उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी, रोहतक ने 6 जनवरी, 1979 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन आदि के लाभों का हकदार नहीं है। अभ्यावेदन अनुलग्नक पी-1 द्वारा इस आधार पर मांगा गया कि उसे अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इस पत्र की एक प्रति याचिका के साथ पी-2 के रूप में संलग्न है। इसके बाद, वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा तृतीय संशोधन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी।

(4) हरियाणा तृतीय संशोधन नियमों को प्राथमिक चुनौती उसी आधार पर है जिस आधार पर हरियाणा द्वितीय संशोधन नियमों को दी गई थी, जिस पर आज हमने 1979 के सी. डब्ल्यू. संख्या 231 - देई चंद बनाम हरियाणा राज्य में अलग से निर्णय लिया है।

(5) याचिकाकर्ता 'सैन्य सेवा' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और परंतुक के कारण नियम 4 को छोड़कर आज तक संशोधित पंजाब नियमों के तहत सैन्य सेवा के लाभों का हकदार होगा। परंतुक की वैधता का परीक्षण करने के लिए, यह देखना होगा कि अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त किए गए व्यक्तियों के बीच अनुकंपा के अलावा अन्य आधारों की तुलना में उचित वर्गीकरण है या नहीं। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन यदि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है तो यह अधिकारातीत होगा। हमारे सामने एकमात्र आग्रह यह है कि सैन्य सेवा एक वर्ग है और इसलिए, कोई वर्गीकरण नहीं किया जा

सकता है। इस व्यापक प्रस्तुतिकरण से हम प्रभावित नहीं हैं। दूसरी ओर, हम पाते हैं कि अनुकंपा के आधार पर सैन्य सेवा से मुक्त किए गए व्यक्ति उन लोगों की तुलना में एक अलग वर्ग होंगे, जिन्हें सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण या किसी अधिकारी या कर्मी के विकलांग हो जाने के कारण सैन्य सेवा से मुक्त किया गया है। हमने यह भी पाया है कि केवल उन व्यक्तियों को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिए लाभ देने के सरकार के फैसले में एक उचित सांठगांठ है, जिन्हें अनुकंपा के अलावा अन्य आधारों पर सैन्य सेवा से मुक्त किया गया था। इसलिए, हमारी राय है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के कारण परंतुक में कोई दुर्बलता नहीं है।

(6) अगला तर्क यह दिया गया कि प्रावधान ख़राब है क्योंकि हरियाणा तृतीय संशोधन नियमों को 1 नवंबर, 1966 से पूर्वव्यापी बना दिया गया है। इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है और इस पर विवाद नहीं किया जा रहा है कि सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 309 भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा कि बी.एस. वडेरा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था[1]। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार किसी भी विशेष तिथि से नियम 4 का लाभ देने के लिए स्वतंत्र है और इसी प्रकार वह किसी विशेष तिथि से परंतुक जोड़कर नियम के संचालन को छीन सकती है। इससे यह नहीं पता चलेगा कि संशोधन पूर्वप्रभावीता के कारण ख़राब है। इसके अलावा, इस परंतुक को केवल इसलिए रद्द करने के लिए हमारे समक्ष कोई उचित तर्क नहीं उठाया गया है क्योंकि इसे 1 नवंबर, 1966 से मूल नियम में शामिल किया गया है। यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि इस पर कोई विवाद नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि परंतुक को संभावित प्रभाव से जोड़ा जा सकता है और उस स्थिति में यह निरस्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक बार जब राज्य सरकार को संभावित रूप से या पूर्वव्यापी प्रभाव से शक्ति प्रदान कर दी जाती है, तो बी.एस. वडेरा के मामले (सुप्रा) में निर्णय के मद्देनजर पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया संशोधन बुरा नहीं होगा।

(7) अंत में, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही हरभजन सिंह बनाम संपूर्ण सिंह संधू और अन्य[2], में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि किसी को भी अपने अनुरोध पर सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है और बर्खास्तगी हमेशा कमांडिंग ऑफिसर की संतुष्टि पर होती है और इसलिए, उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पेंशन आदि के प्रयोजनों के लिए सैन्य सेवा के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। हरभजन सिंह के मामले में निर्णय (सुप्रा)) प्रावधान के अभाव में याचिकाकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया होगा

---

[1] ए आई आर 1969 अस सी 118

[2] अल पी ए 12 ऑफ 1975, निर्धारित कि गई थी दिनांक 20.02.76

क्योंकि पेटेंट अपील पर निर्णय लेने वाली पीठ उस नियम पर विचार कर रही थी जो उसके संशोधन से पहले लागू था। संशोधन के बाद, प्रावधान ने विशेष रूप से उन पूर्व-सैन्य व्यक्तियों के मामले में वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और पेंशन के संबंध में सैन्य सेवा के लाभों को छीन लिया है, जिन्हें अनुकंपा के आधार पर रिहा किया गया था। इसलिए, जो मामला लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष विचार के लिए था वह हमारे सामने विचार के लिए नहीं है और परंतुक की वैधता का प्रश्न जो हमारे सामने है वह लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष नहीं था। इसलिए, जब तक परंतुक को अधिकारातीत नहीं माना जाता, तब तक पेटेंट संबंधी निर्णय का याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं होगा।

8. श्री प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[3] मामले में न्यायमूर्ति श्री डी.एस. लांबा, के निर्णय पर भी भरोसा किया गया था। वह मामला भी हरियाणा तृतीय संशोधन नियम प्रकाशित होने से पहले उठा था। इसके अलावा, उस मामले में विचार किया जाने वाला एकमात्र बिंदु यह था कि क्या 1965 के नियम या 1968 के नियम लागू होंगे। उस मामले में यह माना गया था कि 1968 के नियमों ने 1965 के नियमों को निरस्त नहीं किया था, और इसलिए, उस मामले में याचिकाकर्ता 1965 के नियमों के लाभों का हकदार था। वह निर्णय भी स्पष्ट रूप से भिन्न है और याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

9. ऊपर दर्ज कारणों से, हमारी राय है कि हरियाणा तृतीय संशोधन नियमों द्वारा नियम 4 में जोड़ा गया प्रावधान वैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है।

10. परिणाम में, 1976 के सी.डब्ल्यू. नंबर 2018, 3042, 4567 और 7736, 1976 के 1491 और 1978 के 3397 और 1979 के 181, 603, 1164 और 3235 को खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. संधावालिया, - मैं सहमत हूं।

माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरनाम सिंह, -मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के

[3] सी डब्लू 6003 ऑफ 1974 निर्धारित कि गई थी दिनांक 13 अगस्त 1976

लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा